न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 14/2017

अपीलांट

1. जमनादेवी पत्नी श्री शंकरलाल जाति कुम्हार आयु वयस्क पेशा खेती निवासी असाव, तहसील रेवदर व जिला सिरोही, राजस्थान।
2. भेराराम पुत्र श्री शंकरलाल कुम्हार, जाति कुम्हार, आयु वयस्क, पेशा खेती, निवासी असाव, तहसील रेवदर व जिला सिरोही, राजस्थान।
3. मफाराम पुत्र श्री शंकरलाल कुम्हार जाति कुम्हार, आयु वयस्क पेशा खेती निवासी असाव तहसील रेवदर व जिला सिरोही राजस्थान।
4. पुनमाराम पुत्र श्री शंकरलाल कुम्हार जाति कुम्हार, आयु वयस्क, पेशा खेती निवासी असाव, तहसील रेवदर व जिला सिरोही।

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, रेवदर जिला सिरोही

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–
श्री नगेन्द्र कुमार मेडतिया, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांकः– 05.08.2019

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 राज भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही द्वारा अपील संख्या 136/2016 में पारित निर्णय दिनांक 13.10.2017 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि पटवारी हल्का लूणोल तहसील रेवदर ने एक रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस आशय में प्रस्तुत की गई कि मोजा ग्राम असाव के खसरा नंबर 80/200 कुल किता एक रकबा 0.02 बीघा भूमि पर अपीलांटगण ने अनाधिकृत कब्जा कर बाडा व मकान बना लिया हैं उक्त रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार रेवदर ने अपीलांटगण के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर दिनांक 03.11.2015 को आदेश पारित कर अपीलांटगण को उपरोक्त आराजी से बेदखल करने तथा वार्षिक लगान का 50 गुणा रूपये 100/– के अर्थदण्ड से आरोपित का आदेश पारित किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांटगण ने प्रथम अपील अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही के समक्ष 56/2015 प्रस्तुत की गई, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 10.02.2016

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

को आदेश पारित कर तहसीलदार रेवदर के निर्णय को अपास्त कर मौके पर सेटलमेंट विभाग से नपवाई करवाकर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने हेतु पत्रावली रिमांड की गई। जिस पर तहसीलदार रेवदर ने कोई प्रकरण दर्ज किये बिना उक्त अपीलाधीन आदेश पारित कर अपीलांट को वादग्रस्त आराजी से बेदखल करने का आदेश पारित किया। जिसके विरूद्ध अपीलांट सख्या 02 से 04 द्वारा पुन प्रथम अपील अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय पारित कर पत्रावली पुन रिमांड की गई। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील के विचारण के दौरान अपीलांट संख्या 01 द्वारा आदेश 01 नियम 10 सी.पी.सी के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसे स्वीकार कर अपीलांट संख्या 01 को पक्षकार बनाया गया था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट संख्या 01 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने को कोई अवसर नहीं दिया गया। वादग्रस्त आराजी पर अपीलांटगण का मकान पुराने बने हुए है, मौके पर कुल तीन कमरे बने हुए है, जिसमे अपीलांटगण पुराने समय से लगातार अपने परिवार के साथ निवास करते आ रहे है। अपीलांटगण के उक्त मकान कृषि भूमि में बने हुए है, एवं राजस्व विभाग द्वारा कभी भी कोई एतराज नहीं किया गया। उसके पश्चात एक व्यक्ति विशेष की शिकायत पर सीमाज्ञान किया गया तथा गलत सीमाज्ञान के आधार पर उक्त मकानो में से एक मकान उक्त खसरा नंबर 80/200 की भूमि पर बना होना मानकर उक्त कार्यवाही की गई है। अपीलांट द्वारा वादग्रस्त आराजी पर कोई अतिक्रमण नहीं किया गया हैं। गलत सीमाज्ञान रिपोर्ट के आधार पर उक्त कार्यवाही संस्थित की जाकर जैर अपील आदेश पारित किया है। अपीलांटगण द्वारा सायल के इस्तगासा व टीपी रिपोर्ट को कभी भी स्वीकार नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त वादग्रस्त आराजी ग्राम पंचायत लूणोल के खातेदारी में है तथा ग्राम पंचायत की गोचर भूमि दर्शाया हुआ है, ग्राम पंचायत द्वारा अतिक्रमण के संबध में कोई शिकायत नहीं की गई है, जिससे पटवारी हल्का को उक्त कार्यवाही करने का कोई अधिकार नहीं है। वादग्रस्त आराजी गोचर भूमि नहीं है, उक्त भूमि पूर्व के राजस्व रेकर्ड में किस्म "मगरा" दर्ज है, गलत तरीके से मगरा को "गोचर" बताया गया है। वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट के आवास बने हुए है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त समस्त तथ्यो पर गौर किये बिना जैर अपील आदेश पारित किया है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमाया जावे।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि मौजा ग्राम असाव के खसरा नंबर 80/200 कुल किता एक रकबा 0.02 बीघा भूमि राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि पर अपीलाण्ट द्वारा अतिक्रमण करने के कारण अपीलाण्ट के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही करते हुए आदेश बेदखली एवं जुर्माना के आदेश पारित किये गये है। चूंकि अपीलाण्ट द्वारा किया गया अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमण की श्रेणी में परिलक्षित होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही विधि सम्मत प्रक्रिया अपनाते हुए की गई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपीलाण्ट की अपील खारिज करावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया, पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि पटवारी हल्का लूणोल तहसील रेवदर ने एक रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

आशय में प्रस्तुत की गई कि मोजा ग्राम असाव के खसरा नंबर 80/200 कुल किता एक रकबा 0.02 बीघा भूमि पर अपीलांटगण ने अनाधिकृत कब्जा कर बाडा व मकान बना लिया हैं उक्त रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार रेवदर ने अपीलांटगण के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर दिनांक 03.11.2015 को आदेश पारित कर अपीलांटगण को उपरोक्त आराजी से बेदखल करने तथा वार्षिक लगान का 50 गुणा रूपये 100/– के अर्थदण्ड से आरोपित का आदेश पारित किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांटगण ने प्रथम अपील अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही के समक्ष 56/2015 प्रस्तुत की गई, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 10.02.2016 को आदेश पारित कर तहसीलदार रेवदर के निर्णय को अपास्त कर मौके पर सेटलमेंट विभाग से नपवाई करवाकर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने हेतु पत्रावली रिमांड की गई। जिस पर तहसीलदार रेवदर ने अपीलाधीन आदेश पारित कर अपीलांट को वादग्रस्त आराजी से बेदखल करने का आदेश पारित किया। जिसके विरूद्ध अपीलांट सख्या 02 से 04 द्वारा पुन प्रथम अपील अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय पारित कर पत्रावली पुन रिमांड की गई। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में अधीनस्थ न्यायालय ने पुनः प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलांटगण को पुनः नोटिस जारी किये गये। तहसीलदार रेवदर द्वारा भूमि का भूप्रबंध विभाग से सीमाज्ञान/पैमाईश करवाने हेतु भूप्रबंध विभाग जोधपुर से पत्र व्यवहार किया गया तथा भूमि के सीमाज्ञान/पैमाईश हेतु तिथि का निर्धारण कर अपीलांटगण को तहसीलदार (भू.अ.) रेवदर के पत्र क्रमांक/भू.अ./सीमाज्ञान/2016/2352 दिनांक 30.08.2016 के द्वारा अपीलांटगण को भूप्रबंध विभाग में निर्धारित शुल्क राशि जमा करवाने हेतु पत्र जारी किया गया। किन्तु उक्त पत्र अपीलांटगण द्वारा तामिल हुआ हो, ऐसा कोई तामिली रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में नही है। जिससे यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व मे पारित आदेश दिनांक 10.02.2016 में प्रदत्त निर्देशो की पालना किये बिना निर्णय दिनांक 01.12.2016 पारित किया गया है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय पारित किया गया है। जिसमे हम किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार रेवदर द्वारा प्रकरण संख्या 06/2015 में पारित निर्णय दिनांक 01.12.2016 अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.02.2016 एवं 13.10.2017 की पालना की जाकर अपीलांटगण को विधिवत सुनवाई का अवसर दिया जाकर विधिसम्मत निर्णय पारित करे। इस निर्णय की प्रति के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 05.08.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली